



राजस्थान सरकार

कार्यालय नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर (राज.)



Telefax No. 0154-2466652, Email :- uit_sgnr@yahoo.com
Office Address :- UIT Office, Model Town, Sri Ganganagar (Raj.) 335001

एजेण्डा सं. - 02

क्र. स.	प्रकरण	प्रकरण के संबंध में विवरण																					
1	आवेदक का नाम	श्री मुकेश शाह पुत्र श्री शिव प्रसाद शाह निवासी आरएस-08 रिद्धि सिद्धि एन्क्लेव श्रीगंगानगर																					
2	भूमि का विवरण	चक 4 ई छोटी मुरब्बा नं. 03 के किला नं. 5/6 में 0.034 है., किला नं. 6/1, 16/1 प्रत्येक में 0.2404 है. किला नं. 7/1, 14/1, 17/1 व 24/1 प्रत्येक में 0.1089 है. किला नं. 15/2 में 0.2403 है. किला नं. 25/1 में 0.0250 है व किला नं. 25/4 में 0.2167 है. यथाकुल 1.4324 हैक्टेयर																					
3	स्वामित्व के संबंध में रिपोर्ट	प्रपत्र-6 में तहसीलदार राजस्व श्रीगंगानगर से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार स्वामित्व वैध है।																					
4	भूमि का भू-उपयोग	परिधि नियन्त्रण क्षेत्र																					
	1) मास्टर प्लान वर्ष 2003-2023																						
	2) मास्टर प्लान वर्ष 2017-2035	आवासीय प्रयोजनार्थ																					
5	पहुँच मार्ग की स्थिति	मास्टर प्लान की प्रस्तावित 80 फीट चौड़ी सड़क में से आवेदक स्वयं की भूमि से 40 फीट चौड़ा पहुँच मार्ग																					
	1) मास्टर प्लान अनुसार																						
	2) मौके पर विद्यमान पहुँच मार्ग	40 फीट																					
6	प्रयोजन	आवासीय योजना																					
7	राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90-क का विवरण	आदेश सं. LU2012/SGN/2021-22/100231 दिनांक 27.10.2021																					
8	भूमि के इन्तकाल का विवरण	रिपोर्ट प्राप्त नहीं है।																					
9	कार्यालय वरिष्ठ नगर नियोजक बीकानेर से स्वीकृति का विवरण	बीकेजेड/ 2522 : 99/ ले.आ./2021/ एसजीएनआर/ 1419 दिनांक 06.10.2021																					
10	वरिष्ठ नगर नियोजक बीकानेर से प्राप्त स्वीकृति अनुसार मुख्य तथ्य	- योजना को मास्टर प्लान की प्रस्तावित 80 फीट चौड़ी सड़क में से आवेदक स्वयं की भूमि में से 40 फीट भूमि सड़क मार्गाधिकार हेतु निःशुल्क समर्पित है, को यथावत मौके पर कायम किया जाना आवश्यक होगा। - आवेदित भूमि में राज्य सरकार के आदेश दिनांक 10.08.2020 के अनुसार सड़क की मध्य रेखा से दोनों ओर 6 मीटर भूमि खुली भूमि होना आवश्यक है। - आवेदित भूमि की बीकानेर कार्यालय से प्राप्त राय अनुसार पश्चिमी दिशा में खाला गुजर रहा है। कनिष्ठ अभियन्ता एवं टी एस सर्वे अनुसार आवेदित भूमि के दक्षिण में खाला गुजर रहा है। उक्त खाले के संबंध में सुरक्षात्मक उपाय अपनाएँ जाने आवश्यक होंगे।																					
12	योजना के स्वीकृत ले आउट प्लान में भूमि का वर्गीकरण	<table> <tr> <th>प्रयोजन</th><th>वर्गफीट</th><th>प्रतिशत</th></tr> <tr> <td>आवासीय</td><td>83786.06</td><td>54.42%</td></tr> <tr> <td>इन्फोर्मल</td><td>3073.94</td><td>2.00%</td></tr> <tr> <td>मास्टर प्लान रोड़</td><td>24606.25</td><td>15.98%</td></tr> <tr> <td>पार्क</td><td>7700.00</td><td>5.00%</td></tr> <tr> <td>सड़क</td><td>34800.00</td><td>22.60%</td></tr> <tr> <td>कुल</td><td>153966.25</td><td>100.00%</td></tr> </table>	प्रयोजन	वर्गफीट	प्रतिशत	आवासीय	83786.06	54.42%	इन्फोर्मल	3073.94	2.00%	मास्टर प्लान रोड़	24606.25	15.98%	पार्क	7700.00	5.00%	सड़क	34800.00	22.60%	कुल	153966.25	100.00%
प्रयोजन	वर्गफीट	प्रतिशत																					
आवासीय	83786.06	54.42%																					
इन्फोर्मल	3073.94	2.00%																					
मास्टर प्लान रोड़	24606.25	15.98%																					
पार्क	7700.00	5.00%																					
सड़क	34800.00	22.60%																					
कुल	153966.25	100.00%																					
11	अन्य तथ्य	1 योजना को पहुँच मार्ग मास्टर प्लान की प्रस्तावित 80 फीट चौड़ी सड़क में से आवेदक स्वयं की भूमि में से 40 फीट भूमि सड़क मार्गाधिकार हेतु निःशुल्क समर्पित है, को यथावत मौके पर कायम किया जाना आवश्यक होगा।																					

सहायक नगर नियोजक
नगर विकास न्यास,
श्रीगंगानगर

अधिक्षापी अभियन्ता
नगर विकास न्यास,
श्रीगंगानगर

सचिव
नगर विकास न्यास,
श्रीगंगानगर



राजस्थान सरकार

कार्यालय नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर (राज.)



Telefax No. 0154-2466652.

Email :- uit_sgnr@yahoo.com

Office Address :- UIT Office, Model Town, Sri Ganganagar (Raj.) 335001

अतः उपरोक्त तथ्यों सहित प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय :- चक 4 ई छोटी मुरब्बा नं. 03 के किला नं. 5/6 में 0.034 है, किला नं. 6/1, 16/1 प्रत्येक में 0.2404 है. किला नं. 7/1, 14/1, 17/1 व 24/1 प्रत्येक में 0.1089 है. किला नं. 15/2 में 0.2403 है. किला नं. 25/1 में 0.0250 है व किला नं. 25/4 में 0.2167 है. यथाकुल 1.4324 हैक्टेयर भूमि का आवासीय प्रयोजनार्थ ले आउट प्लान अनुमोदन निम्नलिखित शर्तों/बिन्दुओं के अधीन किया जाता है :-

1. वरिष्ठ नगर नियोजक बीकानेर के कार्यालय पत्रांक बीकेजेड/ 2522 : 99/ ले.आ. /2021/ एसजीएनआर/1419 दिनांक 06.10.2021 में वर्णित शर्तों की पूर्ति/पालना हेतु विकासकर्ता से अण्डरटेकिंग ली जावे।
2. स्वीकृत ले आउट प्लान अनुसार भूखण्डों का क्षेत्रफल के वर्गीकरण के आधार पर सैट बैक्स, ऊचाई एवं आच्छादित क्षेत्रफल भवन विनियम 2017/2020 की तालिका अनुसार देय होगा।
नोट :- योजना के कॉर्नर के भूखण्डों पर नियमानुसार गोलाई (रेडियस) छोड़कर ही निर्माण किया जावेगा।
3. योजना में स्वीकृत इन्फोरमल भूखण्ड का निष्पादन टाऊनशिप पॉलिसी 2010 के प्रावधानानुसार निष्पादन तथा योजना मानचित्र में प्रस्तावित इन्फोरमल सैक्टर का पृथक से ले आउट प्लान अनुमोदन करवाया जाना होगा।
4. योजना में सुविधा क्षेत्र के संबंध में राज्य सरकार के आदेश दिनांक 26.02.2013 के अन्तर्गत यदि मास्टर प्लान/सैक्टर प्लान के मार्गाधिकार हेतु योजना क्षेत्र के 10 प्रतिशत से अधिक क्षेत्रफल निःशुल्क समर्पित किये जाने की स्थिति में टाऊनशिप पॉलिसी के तहत विकासकर्ता को 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र में समानुपात में छूट दिये जाने का प्रावधान है।
5. मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 के प्रावधान व नोटिफिकेशन दिनांक 03.04.2017 में वर्णनानुसार 2 हैक्टेयर तक की प्लॉटेड डवलमेन्ट योजनाओं में विक्रय योग्य क्षेत्रफल के 10 प्रतिशत के बराबर भूमि की राशि ईडब्ल्यूएस/एलआईजी हेतु विकासकर्ता से आवासीय आरक्षित दर से गणना कर राशि लिये जाने का प्रावधान है। उपरोक्त योजना में आवासीय क्षेत्रफल 83786.06 वर्ग फीट/ 7783.99 वर्गमीटर है, जिसका 10 प्रतिशत क्षेत्रफल 778.40 वर्गमीटर की आरक्षित दर से राशि 90 दिवस में जमा करवाई जानी होगी। उक्त अवधि के पश्चात जमा करवाये जाने वाली राशि पर 15 प्रतिशत की दर से ब्याज वसूल किया जावेगा। (विभागीय आदेश क्रमांक प.18(36) नविवि/ एन.ए.एच.पी./ 2014 पार्ट दिनांक 04.05.2017)
6. योजना की समस्त सड़के, पार्क व खुला क्षेत्र न्यास में निहित होगा।
7. योजना में ठोस कचरा निस्तारण हेतु भूमि का प्रावधान अनुसार समायोजन किया जावेगा।
8. योजना की आन्तरिक सड़कों के विकास में ऊर्जा संरक्षण हेतु सोलर एवं एलईडी लाईट का उपयोग किया जावेगा।
9. योजना के आन्तरिक विकास कार्य, यथा सड़के, नालिया, विद्युत व्यवस्था, स्ट्रीट लाईट, सीवरेज एवं पेयजल आदि के समस्त कार्य टाऊनशिप पॉलिसी 2010 के बिन्दु सं. 12 अनुसार निर्धारित अवधि 18 माह में किये जाने अनिवार्य होंगे। निर्धारित अवधि में उपरोक्त विकास कार्य पूर्ण नहीं होने की स्थिति में 10 प्रतिशत शास्ति के (Total Prevailing Conversion Charges) साथ अधिकतम अवधि 2 वर्ष तक नियमानुसार न्यास स्तर से बढ़ाई जा सकेगी।
10. उपरोक्त योजना का राजस्थान रियल एस्टेट (रेग्यूलेशन एण्ड डवलपमेन्ट) रूल्स 2017 के तहत पंजीयन करवाया जाना अनिवार्य होगा।
11. उक्त योजना के बाह्य/आन्तरिक विकास शुल्क व अन्य देय शुल्कों की गणना कर विकासकर्ता को मांग पत्र जारी किया जावे व जारी मांग पत्र में देय राशि जमा करवाये जाने की अवधि विभागीय आदेश/परिपत्रानुसार 90 दिवस दी जावे। अन्यथा नियमानुसार बाह्य विकास शुल्क की राशि में 20 प्रतिशत की छूट का लाभ देय नहीं होगा।
12. विभागीय अधिसूचना दिनांक 10.08.2020 के प्रावधान 7.02 अनुसार योजना में टेलिकोम इन्फ्रास्ट्रक्चर टावरस् हेतु स्थल आरक्षित रखते हुए निष्पादन विभागीय अधिसूचना/ आदेशानुसार किया जाना होगा।

सहायक नगर नियोजक
नगर विकास न्यास,
श्रीगंगानगर

अधिशाषी अभियन्ता
नगर विकास न्यास,
श्रीगंगानगर

सचिव
नगर विकास न्यास,
श्रीगंगानगर



राजस्थान सरकार

कार्यालय नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर (राज.)

Telefax No. 0154-2466652, Email :- uit_sgnr@yahoo.com
Office Address :- UIT Office, Model Town, Sri Ganganagar (Raj.) 335001



13. स्वीकृत योजना में भूखण्डों की संख्या का अंकन व्यवस्थित रूप से किये जाने एवं योजना के नामकरण हेतु अनुमोदित ले आउट प्लान की प्रति (मय वरिष्ठ नगर नियोजक बीकानेर के पत्र दिनांक 06.10.2021) एवं बैठक कार्यवाही विवरण नियोजन शाखा द्वारा विकासकर्ता/ खातेदार को शर्तों/नियमों की पालना हेतु उपलब्ध करवाई जावें।
14. टाउनशिप पॉलिसी - 2010 एवं इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अधिसूचना/ आदेश/ परिपत्र/ दिशा निर्देशों के समस्त प्रावधानों की पालना करनी होगी तथा नियमानुसार आवश्यक सभी शुल्क न्यास कोष में जमा करवाने होंगे।
15. राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल, राजस्थान जयपुर का परिपत्र दिनांक 31.12.2020 की पालना में योजना का वैध संचालन हेतु प्रदूषण मण्डल की सम्मति, न्यास से अधिवास प्रमाण पत्र जारी किये पूर्व प्राप्त का कर प्रतिलिपि प्रस्तुत करनी होगी तथा राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल, राजस्थान जयपुर द्वारा समय-समय पर जारी दिशा निर्देशों/परिपत्रों/आदेशों की पालना सुनिश्चित करनी होगी।

नोट :- आवेदक द्वारा प्रस्तुत ले आउट प्लान व वरिष्ठ नगर नियोजक बीकानेर द्वारा स्वीकृत ले आउट प्लान में वर्णित भूखण्ड की प्रस्तुत सारणी के प्रतिशत व सड़क के क्षेत्रफल में भिन्नता है। उक्तानुसार संशोधित ले आउट प्लान प्राप्त किया जाना है।

सहायक नगर नियोजक
नगर विकास न्यास,
श्रीगंगानगर

अधिसूचना अभियन्ता
नगर विकास न्यास,
श्रीगंगानगर

सचिव
नगर विकास न्यास,
श्रीगंगानगर



क्रमांक :- टीपी/2021/

दिनांक :-

प्रमाण-पत्र

स्वातेदार/विकासकर्ता श्री मुकेश शाह पुत्र श्री शिव प्रसाद शाह निवासी आरएस-08 रिद्धि सिद्धि एन्क्लेव, श्रीगंगानगर की आवेदित भूमि वाके चक 4 ई छोटी मुरब्बा नं. 03 के किला नं. 5/6 में 0.034 है., किला नं. 6/1, 16/1 प्रत्येक में 0.2404 है. किला नं. 7/1, 14/1, 17/1 व 24/1 प्रत्येक में 0.1089 है. किला नं. 15/2 में 0.2403 है. किला नं. 25/1 में 0.0250 है व किला नं. 25/4 में 0.2167 है. यथाकुल 1.4324 हैक्टेयर भूमि की धारा 90-ए की कार्यावाही न्यास आदेश सं. LU2012/SGN/2021-22/100231 दिनांक 27.10.2021 द्वारा पूर्ण की जा चुकी है। आवेदित भूमि का ले आउट प्लान वरिष्ठ नगर नियोजक बीकानेर के पत्रांक बीकेजेड/2522:99/ले.आ./2021/एसजीएनआर/1419 दिनांक 06.10.2021 द्वारा संशर्त आवासीय प्रयोजनार्थ स्वीकृत है। न्यास की ले आउट प्लान समिति की बैठक दिनांक 16.11.2021 द्वारा उक्त तकनीकी रूप से स्वीकृत ले आउट प्लान का संशर्त अनुमोदन किया जा चुका है।

नगरीय विकास विभाग राजस्थान जयपुर की अधिसूचना एवं परिपत्रानुसार विकासकर्ता की आवेदित भूमि के बाह्य विकास शुल्क की राशि 1432400/- रुपये में से 20 प्रतिशत की छूट की राशि 286480/- रुपये कम करते हुए शेष राशि 1145920/- रुपये एवं मुख्यमंत्री जन आवास योजना के प्रावधानानुसार राशि 10221650/- रुपये यथाकुल 2167570/- रुपये जरिये रसीद सं. 57/1658 दिनांक 30.11.21 द्वारा न्यास कोष में जमा है।

स्वातेदारान द्वारा आन्तरिक विकास के समस्त कार्य नियत समयावधि में कार्य पूरा न होने की दशा में रहन शुद्धा भूखण्ड (कुल 12 व्यावसायिक भूखण्ड व 01 इन्फोमल सेक्टर) न्यास द्वारा विक्रय करके आन्तरिक विकास कार्य करवाने बाबत कॉलोनाईजर्स/स्वातेदार ने शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है।

अतः उक्त तथ्यों व कॉलोनाईजर्स/स्वातेदार द्वारा प्रस्तुत अण्डरटैकिंग और मौका निरीक्षण समिति की अनुशंसा के आधार पर निम्न शर्तों के साथ प्रमाण-पत्र जारी किया जाता है :-

- स्वीकृत ले आउट प्लान के अनुसार समस्त आन्तरिक विकास कार्य बिजली, पानी, सड़कें, स्ट्रीट लाईट, नाली, पार्क (लाईट, झुले, बैच, घास, पेड़-पौधे आदि), होर्टिकल्चर आदि का निर्माण स्वयं कॉलोनाईजर्स/स्वातेदार को स्वयं के खर्चे पर नियत समयावधि में पूर्ण करवाने होंगे। न्यास उपरोक्त किसी भी प्रकार के विकास कार्य एवं उक्त हेतु व्यय करने हेतु उत्तरदायी नहीं होगा।
- ऑवर हैड वाटर टैंक, वर्षा जल नालिया एवं सीवरेज का कार्य स्वयं स्वातेदार/कॉलोनाईजर्स के स्तर पर करवाया जावेगा तथा इन कार्यों के विरुद्ध न्यास से किसी प्रकार की कोई मांग इत्यादि नहीं की जावेगी। स्वीकृत ले आउट प्लान अनुसार आन्तरिक विकास कार्य एवं उपरोक्त वर्णित कार्य पूर्ण होने के उपरान्त ही उक्त रहन रखे गये भूखण्डों को रहन मुक्त किया जावेगा।
- योजना को पहुँच मार्ग योजना को मास्टर प्लान की प्रस्तावित 80 फीट चौड़ी सड़क में से आप स्वयं की भूमि में से 40 फीट भूमि सड़क मार्गाधिकार हेतु निःशुल्क समर्पित है, को यथावत कायम किया जाना होगा तथा उक्त सड़क मार्गाधिकार में आने वाली आवश्यक भूमि पर नियमानुसार निर्माण आपके स्वयं के स्तर पर करना होगा।
- आवेदित भूमि में स्थित अथवा योजना के लगते हुए मास्टर प्लान, सेक्टर रोड नेटवर्क प्लान की सड़कों को मोके पर यथावत कायम किया जाना अनिवार्य है। योजना के लगते हुए पूर्व अनुमोदित योजनाओं की सड़कों का मौके पर मिलान आवश्यक होगा। जिसकी सुनिश्चितता आपके स्वयं के स्तर पर की जानी आवश्यक होगी।
- आवेदित भूमि में राज्य सरकार द्वारा जारी आदेशों के क्रम में योजना में पार्क व खुल्ला क्षेत्र का विकास तथा क्रियान्वयन हेतु निर्धारित टाउनशिप पॉलिसी 2010 के अनुसार आपके स्वयं के स्तर पर किया जाना आवश्यक होगा।
- आवेदित भूमि में व पास में लगती हुई भूमि में से यदि कोई खाला या विद्युत लाईन हो तो उक्त खाले/विद्युत लाईन हेतु संबंधित विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं सुरक्षात्मक उपाय आपके स्वयं के स्तर पर करने होंगे।
- योजना में नियत समयावधि में आन्तरिक विकास कार्य पूर्ण नहीं होने की दशा में न्यास द्वारा रहनशुद्धा भूखण्डों को विक्रय किया जाकर आन्तरिक विकास कार्य करवाये जा सकेंगे। इस बाबत स्वातेदार/कॉलोनाईजर माननीय न्यायालय एवं अन्य विभागों में कोई वाद विवाद या क्लेम हेतु कोई दावा/उज्र प्रस्तुत नहीं करेगा।
- राजस्थान टाउनशिप पॉलिसी-2010 अनुसार नियत अवधि में उपर्युक्तानुसार समस्त विकास कार्य पूर्ण होने तक कमेटी की अनुशंसा एवं कॉलोनाईजर्स/स्वातेदार द्वारा प्रस्तुत अण्डर टैकिंग के अनुसार भूखण्ड सं. E-13, E-17, E-18, F-20 To E-24, F-10, F-16 To F-18 Each Size 20'-0" X 52'-6" Feet & Informal Sector Size 34'-3" X 89'-9" Feet, Total 12 Plot & 01 Informal नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर के पास बन्धक रहन रहेगे। कॉलोनाईजर्स/स्वातेदार द्वारा किये गये विकास कार्यों के प्रमाणीकरण अनुसार रहनशुद्धा भूखण्ड को रहन मुक्त किया जायेगा।
- प्रश्नगत भूमि पर प्रस्तावित उपयोग से उत्पन्न होने वाले सॉलिड एवं लिक्विड वेस्ट का निष्पादन राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल द्वारा निर्धारित पैरामीटर्स अनुसार संतोषजनक ढंग से आपके स्वयं के स्तर पर करना होगी।
- योजना में वेस कचरा निस्तारण हेतु भूमि का प्रावधान अनुसार समायोजन किया जावेगा। योजना की आन्तरिक सड़कों के विकास में ऊर्जा संरक्षण हेतु सोलर एवं एलईडी लाईट का उपयोग किया जावेगा।

रचित



राजस्थान सरकार

कार्यालय नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर (राज.)

Telefax No. 0154-2466652, Email :- uit_sgnr@yahoo.com
Office Address :- UIT Office, Model Town, Sri Ganganagar (Raj.) 335001



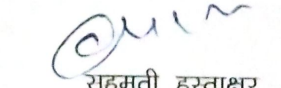
-2-

11. आवेदित भूमि में योजना के गन्दे पानी की निकासी हेतु सीवरेज ट्रीटमेन्ट प्लाट का निर्माण कार्य आपके स्वयं के स्तर पर करवाना होगा।
12. विभागीय अधिसूचना दिनांक 10.08.2020 के प्रावधान 7.02 अनुसार योजना में टेलिकोम इन्फ्रास्ट्रक्चर टावरस् हेतु स्थल आरक्षित रखते हुए निष्पादन विभागीय अधिसूचना/ आदेशानुसार किया जाना होगा।
13. पर्यावरण की दृष्टि से उक्त भूमि पर 30 वृक्ष प्रति एकड़ के अनुपात में 5 फीट से अधिक की ऊँचाई ग्रहण कर सकने वाले पेड़ लगाये जाने आवश्यक होंगे, उक्त की सुनिश्चितता आप द्वारा स्वयं के स्तर पर करनी होगी।
14. योजना के आन्तरिक विकास कार्य यथा सड़के, नालिया, विद्युत व्यवस्था, स्ट्रीट लाईट, सीवरेज एवं पेयजल आदि समस्त कार्य टाऊनशिप पॉलिसी 2010 के बिन्दु सं. 5 अनुसार निर्धारित अवधि 24 माह (बिन्दु सं. 12 अनुसार) में किये जाने अनिवार्य होंगे। निर्धारित अवधि में उपरोक्त विकास कार्य पूर्ण नहीं होने की स्थिति में 10 प्रतिशत शारित के (Total Prevailing Conversion Charges) साथ अधिकतम अवधि 2 वर्ष तक नियमानुसार न्यास स्तर से बढ़ाई जा सकेगी।
15. उपरोक्त योजना का राजस्थान रियल एस्टेट (रेग्यूलेशन एण्ड डवलपमेन्ट) रूल्स 2017 के तहत पंजीयन करवाया जाना अनिवार्य होगा।
16. राजस्थान टाऊनशिप पॉलिसी-2010 एवं राजस्थान नगरीय क्षेत्र श्रीगंगानगर भवन विनियम 2020 तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेश/परिपत्र/दिशा निर्देशों की समस्त शर्तों की पालना सुनिश्चित की जानी होगी।


सचिव,

नगर विकास न्यास,
श्रीगंगानगर

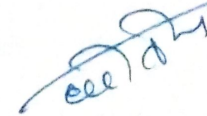
उपरोक्त सभी शर्तें मेरे/हमारे द्वारा पढ व समझ ली गई है, जिनकी पूर्ण जानकारी मेरी/हमारी निजी जानकारी अनुसार है एवं सत्य है। उपरोक्त सभी शर्तें मुझे/हमे मंजूर एवं मान्य है तथा उपरोक्त वर्णित सभी शर्तों की पालना मेरे/हमारे स्वयं के स्तर पर की जावेगी।


सहमती हस्ताक्षर
(खातेदार/कॉलोनाईजरर्स)

क्रमांक :- टीपी/2021/ 2264
प्रतिलिपि :-

दिनांक :- 09/12/2021

1. खातेदार श्री मुकेश शाह पुत्र श्री शिव प्रसाद शाह निवासी आरएस-08 रिद्धि सिद्धि एन्क्लेव, श्रीगंगानगर।
2. नियमन शाखा न्यास, श्रीगंगानगर को उक्त रहन रखे गये भूखण्डों का रूपान्तरण नहीं करने एवं रहन रखे गये भूखण्डों तथा उक्त योजना में नियमन किये गये भूखण्डों का अलग से रजिस्टर सम्पूर्ण विवरण सहित संधारित करने बाबत।



सचिव,
नगर विकास न्यास,
श्रीगंगानगर

